

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग

क्रमांक : प. 16(25)साप्र/ग्रुप-5/87

जयपुर, दिनांक : 12/12/2017

आदेश

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों में किये संशोधन के अनुसार ही राज्य सरकार द्वारा भी वेतनमानों में संशोधन कर नवीन वेतनमान लागू कर दिये गये हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2008 के अधिक्रमण में निर्णय लिया है कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार (Pay Level in Pay Matrix 'L-16') मैट्रिक्स पे लेवल 'L-16' या उससे अधिक की ग्रेड में वेतन पाने वाले राजस्थान राज्य के समस्त अधिकारी राजस्थान हाउस, नई दिल्ली, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई तथा राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि/दर पर तुरन्त प्रभाव से ठहरने के पात्र होंगे। ऐसे अधिकारीगण जिनका वेतनमान सातवें वेतन आयोग द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया, वे विश्राम भवनों में पूर्वानुसार पात्र होंगे।

६

(गौरव बजाड़)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 2 समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
- 3 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 4 समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
- 5 निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, वित्त(नियम)विभाग को उनके आई.डी. 101706277 दिनांक 05.12.2017 के क्रम में।
- 8 मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4)विभाग।
- 9 प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
- 10 प्रबन्धक, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई।
- 11 प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
- 12 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को अलग से सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

शासन उप सचिव